



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : [info@uau.ac.in](mailto:info@uau.ac.in)

संख्या : 814/उ0आ0वि0/प्रवेश/2014-15

दिनांक : 26 अगस्त, 2014

## यू0ए0पी0जी0एम0ई0ई0-2014 एम0डी0/एम0एस0 आयुर्वेद में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की अतिरिक्त सूचना

पूर्व में उक्त सम्बन्धी सूचना संख्या संख्या 809/उ0आ0वि0/प्रवेश/2014-15 दिनांक 22 अगस्त, 2014 के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिका संख्या 2286/2012, भावना शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य में स्थित शिक्षण संस्थानों से अर्हता परीक्षा (बी0ए0एम0एस0) उत्तीर्ण की हो, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी उत्तराखण्ड राज्य कोटे की सामान्य सीटों के लिए यू0ए0पी0जी0एम0ई0ई0-2014 में उत्तीर्ण होने की दशा में काउन्सिलिंग के लिए अर्ह होंगे। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रेषित एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

आज्ञा से



कृते कुलपति/अध्यक्ष,  
यू0ए0पी0जी0एम0ई0ई0-2014  
प्रवेश काउन्सिलिंग बोर्ड,